

न्यायालय- ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्र.क.क.-179/2012)  
(संस्थित दिनांक :-13.04.2012)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र-

मौ जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

1-महेश पुत्र कृपाराम उम्र 39 साल

2-सुरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश शर्मा उम्र 26साल

3-संजीव पुत्र रामनारायण शर्मा उम्र 36 साल

4-धनीराम पुत्र कृपाराम शर्मा उम्र 42

समस्त निवासीगण ग्राम चम्हेणी थाना मौ, भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

// निर्णय //

( आज दिनांक 31.01.2017 को घोषित )

अभियुक्तगण पर भा.द.सं. की धारा 451, 354, 323, 342/34, के अन्तर्गत आरोप हैं कि आपने दिनांक 25.01.2012 को सुबह 06:00 बजे फरियादी का मकान ग्राम चम्हेणी में प्रवेशकर गृहअतिचार का अपराध कारित किया, सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियोक्त्री की लज्जाभंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर अपराधिक बल का प्रयोग किया, सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियोक्त्री व सतीश के साथ मारपीटकर सवेच्छ्या साधारण उपहति कारित की तथा सतीश को रस्सी से बांधकर बिजली के खंभे से बांध कर सदोष परिरोध का अपराध कारित किया ।

02. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी सतीश ग्राम चम्हेणी में रहता है। दिनांक 25.01.2012 को सुबह-सुबह फरियादी की पत्नी घर का दरवाजा खोलकर काम कर रही थी। फरियादी लेटा हुआ था। करीब सुबह 06:30 बजे पत्नी अभियोक्त्री के चिल्लाने की आवाज आई बचाओ तो फरियादी बचाने पहुंचा तो देखा कि घर के अंदर अभियुक्तगण उसकी पत्नी का हाथ पकड़कर बुरी नियत से खींच रहे थे, जब फरियादी वहां पहुंचा तो उसे चारों अभियुक्तगण ने पकड़कर उसे रस्सी से दरवाजे पर बिजली के लट्टे(खंभे) पर बांध दिया, तब तक गांव के बल्लू राणा और उदयवीर आ गए, जिन्हे देख कर चारों भाग गए। अभियोक्त्री ने बताया कि चारों लोग उसके साथ बुरा काम करने के लिए खींच रहे थे। इसके बाद फरियादी द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ में रिपोर्ट की गई, जिससे अपराध क्रमांक 17/12 पंजीबद्ध की गई। दौरान अनुसंधान आहत् का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। नक्शमौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेख किए गए।

अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

03. आरोपीगण को पद क्र० 1 अन्तर्गत आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। दफ़्तार की धारा 313 के अधीन कथन में स्वयं के निर्दोष होने तथा झूठा फंसाए जाने का कथन किया है।

04. प्रकरण के निराकरण हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

1-क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 25.01.2012 को सुबह 06:00 बजे फरियादी का मकान ग्राम चम्हेणी में प्रवेशकर गृहअतिचार का अपराध कारित किया ?

2-क्या उक्त दिनांक, समय पर अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियोक्त्री की लज्जाभंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग कर अपराध कारित किया ?

3-क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियोक्त्री व सतीश के साथ मारपीटकर सवेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

4-क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा फरियादी सतीश को रस्सी से बांधकर बिजली के खंभे से बांध कर सदोष परिरोध का अपराध कारित किया ?

### सकारण निष्कर्ष

05. अभियोजन की ओर से प्रकरण में उदयवीर अ.सा.01, डॉ० बी०एल० अर्गल अ०सा० 2, बल्लू अ०सा० 3, राजवीर अ०सा० 4 तथा शिवदत्त शर्मा अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया, जबकि अभियुक्तगण की ओर से बचाव में स्वयं अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं ली गई। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निवारण किया जा रहा है।

06. प्रकरण में फरियादी सतीश की मृत्यु हो गई है, जिसके संबंध में मृत्यु होने का पंचनामा प्रस्तुत हुआ है और उसे फौत घोषित किया गया, जबकि अभियोक्त्री का अभियोजन द्वारा सही पता प्रस्तुत नहीं किया जा सका और न ही उसे साक्ष्य में परीक्षित कराया जा सका। घटना के संबंध में प्राथमिकी लेखक शिवदत्त शर्मा अ०सा० 5 यह कथन करते हैं कि दिनांक 25.01.2012 को उन्होंने फरियादी सतीश की रिपोर्ट से अपराध क्रमांक 17/12 अंतर्गत धारा 451, 354, 323, 342/34 के तहत अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी। उक्त सूचना प्र०पी० 9 बताकर उस पर अपने हस्ताक्षरों को ए से ए भाग पर प्रमाणित करते हैं। प्रथम सूचना कर्ता की मृत्यु के कारण अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया जा सका। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 9 के उल्लेखित साक्षी बल्लू राणा एवं उदयवीर को परीक्षित कराया गया।

07. उदयवीर अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि फरियादी सतीश को जानते हैं, जो खत्म हो गया है, किन्तु घटना की कोई जानकारी नहीं होने और उसके सामने कोई भी घटना होने से इन्कार करते हैं। बल्लू अ०सा० 3 भी उभयपक्षों को जानते हैं, किन्तु यह साक्षी भी उदयवीर

अ0सा0 1 के समान उसे घटना की कोई जानकारी नहीं होने और उसके सामने कुछ भी नहीं होना बताते हैं। दोनों ही साक्षी पुलिस को कोई भी कथन दिए जाने से इन्कार करते हैं। अभियोजन द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गए, जिसमें साक्षी द्वारा दिनांक 25.01.2012 को फरियादी सतीश दर्जी के घर अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने के तथ्य से इन्कार किया तथा पुलिस कथन क्रमशः प्र0पी0 1 व 4 के विनिर्दिष्ट ए से ए भाग का कथन पुलिस को दिए जाने से स्पष्टतः इन्कार किया है। ऐसे में प्रकरण में सर्वोत्तम साक्षियों अर्थात् फरियादी, आहत् तथा चछुदर्शी साक्षियों के द्वारा अभियुक्तगण के अपराध कारित किए जाने के संबंध में कोई भी कथन अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं हुआ है।

08. प्रकरण में डॉ0 बी0एल0 अर्गल अ0सा0 2 दिनांक 25.01.2012 को आहत् अभियोक्त्री और सतीश पुत्र रामचरन के शारीरिक परीक्षण किए जाने पर उन्हें साधारण प्रकृति की चोटें कारित होने के संबंध में प्र0पी0 2 व 3 की चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन दिया जाना बताते हैं, किन्तु अभिलेख पर यह तथ्य प्रमाणित नहीं है कि आहत्गण को चोटें किस प्रकार से कारित हुई। ऐसी दशा में मात्र चोटें प्रमाणित होना अभियुक्तगण के आरोप को प्रमाणित किए जाने हेतु पर्याप्त नहीं है। राजवीर शर्मा अ0सा0 4 अपने अभिसाक्ष्य में संबंधित अपराध की केस डायरी अनुसंधान हेतु प्राप्त होने का कथन करते हैं। अनुसंधान के दौरान नक्सामौका प्र0पी0 4, फरियादी सतीश की निशानदेही में बनाए जाने, जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। उसी दिनांक को साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेख किए जाने का कथन करते हैं। इसके बाद दिनांक 31.01.2012 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 5 लगायत 8 बनाए जाना प्रकट करते हैं। प्रकरण में प्राथमिकी प्र0पी0 9 तथा पुलिस कथन क्रमशः 1 व 4 स्वयं ही सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। उनका उपयोग साक्षियों के कथन में विरोधाभास एवं लोप के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 145 के अनुसार किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायादृष्टांत न्यायदृष्टान्त— रवि कुमार वि0 स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दफ़्तार के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है।

09. प्रकरण में अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। मात्र अपुष्ट तथ्यों एवं बिना सारवान साक्ष्य के दाण्डिक अभियोजन प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। अनुमान के आधार पर कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है। अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत **बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। “सत्य हो सकता है” और “सत्य होना चाहिए” के बीच काफी दूरी है

और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 25.01.2012 को सुबह 06:00 बजे फरियादी का मकान ग्राम चम्हेणी में प्रवेशकर गृहअतिचार का अपराध कारित किया, सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियोक्त्री की लज्जाभंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया, सामान्य आशय के अग्रशरण में अभियोक्त्री व सतीश के साथ मारपीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा सतीश को रस्सी से बांधकर बिजली के खंभे से बांध कर सदोष परिरोध का अपराध कारित किया। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 451, 354, 323, 342/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्तगण की जमानत भारहीन की जाती है, उनके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

12. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही / -

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही / -

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश